संख्या– 31 / 2020 / 2658 / छिहत्तर–1–2020–40सम / 2020

प्रेषक,

मुश्ताक अहमद,
विशेष सचिव,
सिंचाई एव जल ससाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

एवं

राजेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अधिशासी निदेशक,**
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

2. **प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,**
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
लखनऊ, उ0प्र0।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 28 दिसम्बर 2020

विषयः– विन्ध्य क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति योजना हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न बाँधों/जलाशयों से कच्चा पानी (RAW WATER) लिए जाने के सम्बन्ध में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश के लिये दिशा–निर्देश/पारस्परिक सहमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबध मे अवगत कराना है कि विन्ध्य/बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति योजना हेतु सिंचाई एव जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के विन्ध्य/बुन्देलखण्ड के कुल 09 जनपदों के विभिन्न बाँधों/जलाशयों से नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा कच्चा पानी (RAW WATER) लिए जाने के सम्बन्ध मे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 427/20–27–सिं0–4–08 (डब्ल्यू)/2020, दिनाँक 04.02.2020 द्वारा अपनी सहमति दी गयी है। उक्त आदेश में अंकित कच्चा जल की मात्रा अथवा इसके किसी अंश की जलापूर्ति प्रयोजन के लिए आच्छादित जनपदों तथा योजनाओं का विवरण **संलग्नक–1 के रूप में संलग्न** है।

2– उक्त के क्रम में हमें यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण मे सिंचाई एव जल संसाधन विभाग एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा की जाने वाली अपेक्षित कार्यवाहियाँ निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होंगी

(क) बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र में ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति योजना हेतु सिंचाई एव जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के विभिन्न बाँधों/जलाशयों से कच्चा पानी (Raw Water) लिए जाने के सम्बन्ध में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश एव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश के मध्य आदेश संख्या 427/20–27–सिं0–4–08 (डब्ल्यू)/2020, दिनाँक 04.02.2020 द्वारा दी गई सहमति एवं उक्त आदेश में अंकित कच्चा जल की मात्रा अथवा इसके किसी अंश की जलापूर्ति नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को की जायेगी।

(ख) जलकर के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(ग) नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा पेयजल योजनाओं के लिये कच्चे जल की जलापूर्ति हेतु जलमापी यंत्र लगाया जायेगा। अवर अभियन्ता/अमीन अथवा सिंचाई विभाग के किसी अन्य अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को जल मापने हेतु स्थापित जलमापी यंत्रों एवं उससे प्राप्त मापी का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(घ) प्रयुक्त किये जा रहे जल की मापी हेतु लगाये गये मापी यंत्र नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा क्रियाशील/सुचारू अवस्था मे रखे जायेंगे। मापी यन्त्र क्रियाशील नहीं पाये जाने पर गत तीन माह की जलापूर्ति के अनुसार नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा जल प्राप्त करने की मात्रा की गणना की जायेगी। नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा दोषपूर्ण यंत्र को शीघ्र ठीक कराया जायेगा अथवा अपने मूल्य पर शीघ्र बदलने का प्रबन्ध किया जायेगा।

(ङ) पेयजल योजना हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली जलापूर्ति, यदि सिंचाई विभाग के नियन्त्रण के बाहर अथवा किसी दुघर्टना अथवा सूखा अथवा किसी दैवीय आपदा के कारण बाधित होती है, तो इसका उत्तरदायित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का नहीं होगा।

(च) नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा क्षमता वृद्धि का कार्य अथवा अन्य कोई निर्माण कार्य परिवर्तन एव परिवर्धन सिंचाई एव जल संसाधन विभाग से पूर्व लिखित अनुमति के पश्चात् ही स्वय के व्यय भार पर किया जा सकेगा।

(छ) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत देय बीजकों का, निर्धारित दरों के अनुसार, यदि 06 (छः) माह के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है, तो 30 (तीस) दिन की नोटिस देने के उपरान्त जलापूर्ति बन्द करने का अधिकार होगा।

(ज) जलकर और अन्य देयकों का निर्धारित तिथि या उससे पूर्व भुगतान सिंचाई विभाग को किया जायेगा।

(झ) प्रश्नगत मामले में सभी नोटिस अथवा कार्यवाही अधिकृत/प्राधिकृत दोनों विभागों के पदधारकों द्वारा की जायेगी।

(ञ) बांध व सम्बद्ध कार्यों को क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(ट) प्रस्तावित जलापूर्ति के लिये निर्माण कार्यों यथा–इन्टेक वेल, पाइप लाइन इत्यादि का निर्माण एवं पम्पिग इत्यादि कार्यों को नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के द्वारा स्वयं के खर्चे पर किया जायेगा।

(ठ) इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण/भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों/उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ड) पेयजल हेतु बांधो/जलाशयों से सीधे रॉ–वाटर लिए जाने पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 द्वारा बांधो/जलाशयों पर उपलब्ध निष्प्रयोज्य भूमि में आवश्यक व्यवस्था स्वयं के व्यय पर की जाएगी। उक्त हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की निष्प्रयोज्य भूमि को नमामि

गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा निशुःल्क उपभोग किया जायेगा। सिंचाई एव जल संसाधन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त हेतु अनापत्ति दी जायेगी।

(ढ) पेयजल हेतु बांधो/जलाशयों से सीधे रॉ-वाटर लिए जाने पर नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा शीर्ष पर जल मापक यंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(ण) प्रश्नगत मामले में दोनों पक्षों (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग व नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) एवं उनके प्रतिनिधियों के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद/मतभेद उत्पन्न होने की दशा में सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग समाधान करायेंगे। यदि फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो लिखित रूप में कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

3– कृपया उपर्युक्तानुसार प्रकरण में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक : यथोपरि (योजनाओं की सूची)</u>

भवदीय,

(मुश्ताक अहमद)
विशेष सचिव,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>सख्या 38/2020/1658(1)/छिहत्तर–1–2020 तद्दिनाक</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एव जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मण्डलायुक्त झांसी एव विन्ध्याचल।
7. जिलाधिकारी, ललितपुर/जालौन/झासी/महोबा/चित्रकूट/मिर्जापुर/सोनभद्र।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या - 31 /2020/ 2658/छिहत्तर-1-2020-40मम/ 2020 दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 का संलग्नक

क्र0 स0	जनपद	जलाशय का नाम	जलाशय की क्षमता [illegible]	योजना का नाम	योजना हेतु जलाशय से कुल वार्षिक जल की मात्रा (एम0सी0एम0)
		3	4	5	6
1	ललितपुर	बण्डई बांध	12 59	टोरी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	1.35
2	ललितपुर	सैहजादयान बांध	10 62	मदनपुर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	2.10
3	ललितपुर	जमरार बांध	12 10	सौजनागुढा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	3.34
4	ललितपुर	जामनी बांध	92.80	सैदपुर कुम्हेरी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	4.40
5				गौना नारहट ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	3.36
6.	ललितपुर	कचनौदा बांध	69 00	कचनौदा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	8.23
7	ललितपुर	लोअर रोहिणी बांध	12 27	शुकुलगुवा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	1.26
8	ललितपुर	रोहिणी बांध	12 11	महावारा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	2.29
9	ललितपुर	सजनम बांध	83 50	मसोरा सिदयाहा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	5.86
10	ललितपुर	भौरट बांध	40 55	बिल्ला मोहनम ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	1.71
11	ललितपुर	राजघाट बांध	2171 90	लागौन ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	5.91
12.	ललितपुर	भावनी बांध	27 30	चन्द्रावली ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	1.47
13.	जालौन	एरच बांध	62 00	तला ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	20.80
14	झाँसी			बरथारी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	8.15
5				टेहरका ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	5.80
6	झाँसी	माताटीला बांध	641 06	बुढपुरा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	6.66
7.	झाँसी	पारीछा बांध	78 75	तिलहटा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	2.35
18				विघौली खुर्द ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	3.65
9				गुलारा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	2.88
20.	झाँसी	बड़वार बांध	40 38	बरवार ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	3.64
21	झाँसी	सपरार बांध	70 03	कुरैचा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	6.70
22.	झाँसी	पहाड़ी बांध /	56 61	इमलोटा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	3.96
23.				पुरवा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	3.86
24	महोबा	लहचूरा बांध	10.56	लहचूरा काशीपुरा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	8.50
25.	महोबा	उर्मिल बांध	116.60	धवरहा सिजवाहा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	4.16
26	महोबा	चन्द्रावल बांध	34 70	शियहर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	6.94
27	महोबा	अर्जुन बांध	63 82	सलइया खाल्सा नायूपुरा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	8.34
28.	महोबा	कबरई बांध	11 94	कबरई ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	3.85
29	चित्रकूट	गुन्ता बांध	28 88	रायपुरा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	6.90
30	चित्रकूट	बरुआ बांध	24 903	भरतौल ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना	2.92
31.	मिर्जापुर	जरगो बांध	133 864	धोहा ग्राम समूह पेयजल योजना	15.10
32	मिर्जापुर	जरगो बांध	133 864	गोथवारा ग्राम समूह पेयजल योजना	8.24
33	मिर्जापुर	मेजा	300.546	महादेव ग्राम समूह पेयजल योजना	13.55
34	मिर्जापुर	सिरसी	189.63	लेडुकी ग्राम समूह पेयजल योजना	8.24
35	मिर्जापुर	दुलिया	28.30	ललार ग्राम समूह पेयजल योजना	6.07
36	मिर्जापुर	औरा	55 988	मानिकपुर ग्राम समूह पेयजल योजना	3.05
37	मिर्जापुर	अपर खजूरी	42 39	दान्ती ग्राम समूह पेयजल योजना	4.66
38.	मिर्जापुर	ढेकुआ	42 45	महुआरी ग्राम समूह पेयजल योजना	2.29
39.	मिर्जापुर	अदवा	83.680	अहरौकला ग्राम समूह पेयजल योजना	11.18
40.	सोनभद्र	कनहर	223 00	अमायर ग्राम समूह पेयजल योजना	6.50
41	सोनभद्र	नगवा	110 145	तेन्दीही ग्राम समूह पेयजल योजना	3 96
42.				नगवा ग्राम समूह पेयजल योजना	2 12
43.				बैलाथाध ग्राम समूह पेयजल योजना	4 94
44.	सोनभद्र	रिहन्द	10608.00	झीली ग्राम समूह पेयजल योजना	19 07
45.				बीजपुर ग्राम समूह पेयजल योजना	1.48
46.				परासी ग्राम समूह पेयजल योजना	7 20
47.	सोनभद्र	धनरौल	126.85	बेलही ग्राम समूह पेयजल योजना	8.72
48.	सोनभद्र	ओबरा	140.00	गुरमुरा ग्राम समूह पेयजल योजना	2.79
49.				पनारी ग्राम समूह पेयजल योजना	3.14

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।